12.10.202	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली में हमरिश्ता रहे।
	उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

आर.सी.एम.एस

2017 / 00136

तारीख रजू

16.10.2017

0

17

1. गोपाल उम्र 74 साल
2. प्रभू उम्र 65 साल
3. जौहरी उम्र 60 साल

पुत्रान भौरू जाति कहार नि0 नदी बरखेडा, कहारनकापुरा, झील का हार करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

—सायलान

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र चिरंजी उम्र 70 साल
2. मनोज पुत्र बाबूलाल उम्र 30 साल
3. मुकेश पुत्र शिवचरण उम्र 26 साल
4. सोमोती वेवा शिवचरण उम्र 53 साल

समस्त जातियान कहार नि0 नदी बरखेडा, कंहारनकापुरा, झील का हार, करौली तहसील व जिला करौली

—गैरसायलान

दरख्वास्त 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः—12.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य सायलान ने यह प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया ‌क आराजी ख0नं0 6418, 6419, 6521 कुल किता 3 कुल रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा कस्बा ‌ी तह0 करौली में सायलान के खाते व कब्जे की स्थित है। सायलान के मकानात ‌दी भूमि ख0नं0 6431 में बने हुये है उक्त आराजी से लगी हुयी सायलान की अन्य भूमि ‌आने जाने के लिए निजी 2 फुट चौडा बना रखा है जिसमें से केवल सायलान ही आते ‌है अन्य का इस रास्ते कोई सम्बन्ध नही है नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया ‌जसमें गैरसायलान के द्वारा किये गये अतिक्रमणको वरंग सूर्खलाल रंग से दर्शाया गया है ‌नं0 6421 में वरंग सुर्ख भूमि 48X79 फीट जो सायलान के स्वामित्व की है को सहमति के ‌र पर बाबूलाल गैरसायल नं0 1 को रहने को करीब 18—19 साल पूर्व सायलान ने बता ‌थी क्योकि उसके पास रहने को जगह का अभाव था जिसमें उसने पाटौर पोश माकनीयत ‌कर रिहायश करने लग उसके पश्चात दि0 15.8.2017 को गैर सायलान नं0 1 व 2 ने एक ‌वृक्ष बबूल का जो सायलान की भूमि में लगा था का जबरन काट डाला जिसके बारे में ‌सुन हुई तो गैर सायल नं0 1 व 2 झगडा करने पर आमादा हो गये और जबरन ‌क्रमण करने के उद्देश्य से दि0 20.8.17 को गैरसायलान सायलान की उक्त भूमि पर ‌त्रित होकर फीता डालकर नापा तोली करना शुरू कर दिया तब सायलान ने कहा कि ‌हमारी तुम नाप तोल क्यो कर रहे हो तो गैर सायल नं0 1 व 2 ने कहा कि अब यह ‌हमारी है पाटौर को गिराकर इसमें मकान बनायेंगे तुम्हारे ... और झगडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने पर आमादा हो गये जिसकी रिपोर्ट दि0 27.8.17 को थाना कोतवाली करौली की परन्तु रिपोर्ट दर्ज नही होने दी और दिनांक 1.9.2017 को नजरी नक्शा मे दर्ज मार्क एक्स स्थान पर जबरन अतिक्रमण करते हुये लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए पक्के खण्डों कपी चिनाई है व 6X9 फीट लम्बाई चौडाई में है। काश्त की भूमि पर कोई निर्माण करने का गैरसायलान को अधिकार नही है। और दि0 10.10.17 को मार्क वाई स्थान पर 8X10 फीट भूमि पर अतिक्रमण करते हुये लकडी का एक पुराना खोखा रखवा दिया गैरसायलान सायलान की गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर ख0नं0 6421 पर कब्जा करने पर आमादा है गैरसायलान के इस कृत्य से सायलान के हक हकूको पर भारी आघात है सायलान को अपूर्णीय क्षति व असुविधा सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नं0 1 व 2, 4 ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है सायलान के मकानात आबादी भूमि ख0नं0 6421 में बने हुये नही है ख0नं0 6431 से लगी हुयी सायलान के खातेदारी की आराजी नही है ख0नं0 6400 गैर मु0 नही है ख0नं0 6431 आबादी भूमि है ख0नं0 6416, 6417, 6420 सायल के खातेदारी की नही है ख0नं0 6417, 6420 पांचना सिंचाई परियोजना के खातेदारी की भूमि है। रास्ता 20 फुट चौडा ख0नं0 6421 मे बना हुआ नही है ना सायलान आते जाते है नक्शा नजरी गलत पेश किया है ख0नं0 6421 के दक्षिण में ख0नं0 6420 है उत्तर में ख0नं0 6430 है ख0नं0 6421 के पूर्व में ख0नं0 6431 है। सायलान द्वारा राजस्व नक्शा पेश नही किया है ख0नं0 6373 में सायलान के भवन है ख0नं0 6421 कृषि भूमि है। गैरसायलान की रिहायशी भवन गैरसायलान के पिता व पितामह चिरंजी के समय से 60 वर्ष पूर्व से बने हुये है गैरसायलान व पिता गैरसायलान ने भूमि आवश्यकता बताते हुये प्राप्त नही की नाही सायलान व उनके पिता ने गैरसायलान को रिहायश के लिए भूमि बतायी है गैरसायलान के भवन ख0नं0 6431 आबादी भूमि में रियासतकालीन समय से पिता के समय से बने हुये है भूमि सायलान द्वारा 18–19 वर्ष पूर्व गैरसायल नं0 1 को रहने को नही बतायी है। दि0 15.8.17 को गैरसायलान ने बबूल के वृक्ष को नही काटा है कोई पेड गैरसायलान के मकान के सामने नही लगा हुआ था। सायलान यह झूठे तथ्य दर्ज किये है। कोई नाप तोल दि0 28.8.17 को गैरसायलान ने नही की है। ना ही दि0 27.8.17 को झगडा किया है। दि0 01.09.17 को कोई निर्माण लैट्रिन बाथरूम गैरसायलान ने नही की है लैट्रिन बाथरूम 20 वर्ष पूर्व के पिता चिरंजी के समय के बने हुये है। गैरसायलान द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया है सायलान गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अन्त में प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 6421 सायलान के खातेदारी की भूमि है जिसमें सायलान की इजाजत से 18–19 वर्ष पूर्व गैरसायलान को रिहायश के लिए जगह के अभाव में भूमि में पाटौर पोश मकान बनाने की दी है गैरसायलान का भूमि पर सायलान की इजाजत से रिहायशी भवन बने हुये है। दि0 01.09.17 को गैरसायलान को वादग्रस्त भूमि में नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क एक्स व वाई में जबरन कृषि आराजी भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतिक्रमण करकर 6X9 कोट लम्बाई चौडाई में लैट्रिन बाथरूम निर्माण कर लिया है और दि0 10.10.17 को एक लकडी का पुराना खोखा जबरन रखवा दिया है गैरसायलान को सायलान की कृषि भूमि में निर्माण करने का अधिकार नही है। सायलान की इस अवैध कार्यवाही से हक हकूक सायलान पर आघात है सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वकील गैरसायलान का बहस में कथन है कि मकानीयत 60 वर्ष पूर्व से पिता व पिता गैरसायलान चिरंजी के समय के बने हुये है लैट्रिन बाथरूम व खोखा 18–19 वर्ष पूर्व के पिता के समय के बने हुये है। गैरसायलान का निर्माण ख0नं0 6431 मे है गैरसायलान द्वारा दि0 01.09.17 व 10.10.17 को कोई निर्माण नही किया है। गैरसायलान के भवन सायलान की सहमति से नही बने हुये है। सायलान ने नजरी नक्शा गलत पेश किया है सायलान द्वारा राजस्व नक्शा सीट प्रस्तुत नही की है सायलान के किसी हक हकूक पर आघात नही है सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में वादग्रस्त आराजी ख0नं0 6421 रकवा 19 विस्वा कस्बा करौली सायलान के खातेदारी में दर्ज है निर्माण गैरसायलान मकानीयत सायलान द्वारा 18–19 वर्ष पूर्व का होना बताया है सायलान द्वारा दावा दखल व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्राईमाफसी केस सायलान के पक्ष में है। कृषि भूमि में गैरसायलान द्वारा निर्माण किये जाने पर सायलान के हक हकूको पर आघात होगा एवं सायलान को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी

प्रार्थनापत्र सायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ख0नं0 6421 रकवा 19 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 9 तह0 करौली में कोई निर्माण नही करे ना किसी अन्य से करावे मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 11:51:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner